

मत्स्यपालन सब्सिडी पर भारत का रुख

प्रलिस के लयि:

[वशिव वयापार संगठन \(WTO\)](#), [मातस्यकी सबसडी पर समझौता \(FSA\)](#), [सपेशल एंड डफिरेंशयल टरीटमेंट \(S&DT\)](#), [प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना \(PMMSY\)](#), [नीली करांति \(नील करांति मशिन\)](#), [कसिन क्रेडिट कार्ड \(KCC\) योजना वसितार](#), [सागरमाला परयोजना](#), [समुद्री मत्स्य पालन वधियक- 2021](#), [राषट्रीय मत्स्य पालन नीती](#)

मेन्स के लयि:

मत्स्य सबसडी समझौता (FSA) और भारत पर इसका प्रभाव ।

[स्रोत: द हदि बज़िनेस लाइन](#)

चर्चा में क्यों?

[वशिव वयापार संगठन \(WTO\)](#) में मत्स्यपालन सबसडी पर वनियमन स्थापति करने के भारत के प्रस्ताव को अनेक वकिसशील देशों और अल्प वकिसति देशों (एलडीसी) से पर्याप्त समर्थन प्राप्त हुआ है ।

- वर्तमान में [मातस्यकी सबसडी पर समझौते \(FSA\)](#) के दूसरे चरण को अंतिम रूप देने के प्रयास चल रहे हैं, जिसका उद्देश्य अधिक क्षमता और अधिक मत्स्यपालन में योगदान देने वाली सबसडी पर वनियमन स्थापति करना है, जिससे टकिऊ मत्स्यपालन प्रथाओं को बढ़ावा मलि ।

मत्स्यपालन सबसडी समझौता (एफएसए) क्या है?

- के बारे में:
 - यह [अवैध, असूचित और अवनियमति \(IUU\) मत्स्यन](#) तथा अति मत्स्यन के लयि सबसडी प्रदान करने पर प्रतबिध लगाता है ।
 - [वशिव वयापार संगठन के 12 वें मंत्रसित्रीय सममेलन](#) में प्रस्तावति समझौते में [उच्च सागर/हाई सी](#) में मत्स्यन के लयि सबसडी प्रदान करने पर भी प्रतबिध लगाया गया है, जो तटीय देशों और क्षेत्रीय मत्स्य प्रबंधन संगठनों/व्यवस्थाओं के अधिकार क्षेत्र से बाहर है ।
- संक्रमण अवधि भितता:
 - इस समझौते के प्रभावी होने पर [अल्प वकिसति देशों \(एल.डी.सी.\)](#) और [वकिसशील देशों \(DC\)](#) को [सपेशल एंड डफिरेंशयल टरीटमेंट \(S&DT\)](#) के अंतर्गत दो वर्ष की संक्रमण अवधि दी गई है ।
 - नरिदषिट अवधि के लयि नयिम लागू करने का उन पर कोई दायतिव नहीं होगा ।
- छूट प्राप्त क्षेत्र:
 - कसिी WTO सदस्य पर अपने जहाज़ या ऑपरटर को सबसडी देने या इसे बनाए रखने के संबंध में कोई प्रतबिध नहीं लगाया गया है, जब तक कविह IUU का संचालन नहीं कर रहा हो ।
 - जब तक इन सबसडी का उपयोग अति मत्स्यन कयि गए स्टॉक की जैवकि रूप से संधारणीय स्तर पर पुनः पूरति के लयि कयि जाता है, तब तक उन्हें मत्स्यन के लयि सबसडी प्रदान करने पर कोई प्रतबिध नहीं लगाया गया है ।
 - FSA के दूसरे चरण में इस मुद्दे पर वार्ता चल रही है ।
- लाभ:
 - इससे [बड़े पैमाने पर होने वाली अवैध, असूचित और अवनियमति \(IUU\) मत्स्यन](#) पर रोक लगेगी । IUU भारत जैसे तटीय देशों को मत्स्य संसाधनों से वंचति करती है, जिससे मातस्यकी से संबंधति समुदायों की आजीवकि पर गंभीर प्रभाव पडता है ।

मत्स्यपालन सबसडी समझौते के संबंध में चतिाएँ क्या हैं?

- छोटे मछुआरों और वकिसशील देशों एवं LDC की चतिाएँ:

- बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक मत्स्यन के कारण प्रायः मत्स्य संसाधन का स्टॉक समाप्त हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप छोटे मछुआरे कम मछलियाँ संग्रह कर पाते हैं।
 - मत्स्यन के बड़े नगिमाँ को प्रायः पर्याप्त सरकारी सब्सिडी मिलती है, जबकि छोटे मछुआरों को नहीं मिलती, जिससे मत्स्य उद्योग में असंतुलन हो जाता है।
- FSA में स्थिरता छूट खंड समस्याग्रस्त है, क्योंकि यह उन नए मत्स्यन वाले देशों को, जिनके पास बेहतर मॉनिटरिंग क्षमताएँ हैं, प्रभावित करने वाले सब्सिडी को कम करने की प्रतियोगिताओं से बचने की अनुमति देता है, जिससे गरीब देशों को नुकसान होता है, जो स्थायी रूप से मत्स्यन कर सकते हैं, लेकिन उनके पास समान क्षमताओं व संसाधन का अभाव है।
- वैश्विक स्तर पर, अनुमानतः **37.7% मत्स्य भण्डार का अत्यधिक दोहन** किया गया है, जो वर्ष 1974 के 10% से उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है तथा प्रभावी वनियामक हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।
 - विश्व व्यापार संगठन के आँकड़ों के अनुसार, मत्स्य पालन के लिये वैश्विक स्तर पर सरकारी वित्तपोषण 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें से लगभग 22 बिलियन अमेरिकी डॉलर सब्सिडी के लिये निर्देशित किया जाता है, जिससे अस्थिर मत्स्यन की क्षमता में वृद्धि होती है।

नोट:

- मत्स्य पालन को सब्सिडी देने वाले देशों की स्थिति:
 - मत्स्यन पर सब्सिडी देने वाले शीर्ष पाँच देश चीन, यूरोपीय संघ, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान हैं, जो सामूहिक रूप से कुल वैश्विक मत्स्यन की सब्सिडी का 58% हिस्सा देते हैं।
 - चीन एक महत्वपूर्ण सब्सिडी प्रदाता के रूप में विकसित हुआ आया है, जिसकी लगभग दो-तर्हिाई सब्सिडी क्षमता-वृद्धि के रूप में वर्गीकृत है, जिसमें बड़े जहाजों और समुद्री संसाधनों का बड़े पैमाने पर दोहन करने के लिये डिज़ाइन किये गए उपकरणों में निवेश शामिल है।

FSA पर भारत का रुख क्या है?

- मत्स्य पालन सब्सिडी पर विश्व व्यापार संगठन में भारत द्वारा प्रस्तुत किये गए दस्तावेजों में उन महत्वपूर्ण कमियों को रेखांकित किया गया है, जो गैर-संधारणीय मत्स्य पालन प्रथाओं को जारी रख सकते हैं, विशेष रूप से बड़े पैमाने पर औद्योगिक मत्स्य पालन करने वाले देशों के बीच।
- भारत के अनुसार इतनी बड़ी आबादी के बावजूद वह मत्स्यपालन में सबसे कम सब्सिडी का योगदान करने वाले देशों में से एक है, तथा मत्स्य संसाधनों का संधारणीय दोहन करने वाले अनुशासित देशों में से एक है।
- भारत 'प्रदूषणरतता भुगतान सदिधांत' और 'सामान्य लेकिन विभिदति जमिमेदारियों' के अनुप्रयोग का समर्थन करता है, ताकयिह सुनिश्चित किया जा सके कि उच्च सब्सिडी और औद्योगिक मत्स्यन की प्रथाओं वाले देश नकारात्मक प्रभाव डालने वाले सब्सिडी को प्रतियोगिता करने में अधिक दायित्व नभिएँ।

भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र की स्थिति

- भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है (चीन और इंडोनेशिया के बाद), जो कुल वैश्विक मत्स्य उत्पादन का 8% हिस्सा है।
 - वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत ने लगभग 17.54 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) मत्स्य उत्पादन किया।
- मत्स्य पालन क्षेत्र से संबंधित पहल:
 - प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)
 - नीली क्रांति (नील क्रांति मिशन)
 - मत्स्य पालन के लिये केसीसी सुविधा का वसितार
 - समुद्री मत्स्य पालन विधायक- 2021
 - राष्ट्रीय मत्स्य पालन नीति

आगे की राह

- वार्ता के लिये संतुलित दृष्टिकोण: FSA के लिये विश्व व्यापार संगठन में चल रही वार्ता में एक संतुलित दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी जानी चाहिये जो अधिक क्षमता और अति-मत्स्यन के मुद्दे का प्रभावी ढंग से हल करे, साथ ही छोटे पैमाने के मछुआरों, विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देशों के हितों की रक्षा करे।
 - समझौते में तटीय समुदायों की आवश्यकताओं और चिंताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिये तथा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि उनकी आवश्यकताएँ नरिणय लेने की प्रक्रिया में केंद्रीय हों।
- भारत के लिये नेतृत्व की भूमिका: इस समझौते से भारत को महत्वपूर्ण लाभ होगा। भारत के छोटे पैमाने के मछुआरे और स्थानीय तटीय समुदाय अति-मत्स्यन से विशेष रूप से प्रभावित हैं।

- भारत के पास औद्योगिक मत्स्यन वाले वदेशी बेड़ों की गतविधियों से प्रभावति तटीय देशों को समर्थन देकर ग्लोबल साउथ में अग्रणी के रूप में खुद को स्थापति करने का अवसर है ।
- यह रुख भारत की अपने छोटे पैमाने के मछुआरों और स्थानीय तटीय समुदायों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को सुदृढ़ कर सकता है, जो अति-मत्स्यन और घटती हुई मत्स्यन संग्रह से प्रतिकूल रूप से प्रभावति होते हैं ।

?????? ???? ?????:

प्रश्न. विकासशील देशों (DC) और अल्प विकसित देशों (LDC) के लिये मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते (FSA) के नहितार्थों पर चर्चा कीजिये । विकसित देशों से सब्सिडी के संभावति प्रभावों के संदर्भ में क्या चिंताएँ हैं?

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

???????

प्रश्न. 'ऐग्रीमेंट ऑन ऐग्रीकल्चर (Agreement on Agriculture)', 'ऐग्रीमेंट ऑन दिएप्लीकेशन ऑफ सैनटिरी ऐंड फाइटोसैनटिरी मेजर्स (Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures)' और 'पीस क्लॉज़ (Peace Clause)' शब्द प्रायः समाचारों में किसके मामलों के संदर्भ में आते हैं? (2015)

- खाद्य और कृषि संगठन
- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का रूपरेखा सम्मेलन
- वशिव व्यापार संगठन
- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम

उत्तर: (c)

???????

प्रश्न. वशिव व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) एक महत्त्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्था है, जहाँ लिये गए नरिणय देशों को गहराई से प्रभावति करते हैं । डब्ल्यू.टी.ओ. का क्या अधदिश (मैडेट) है और उसके नरिणय किस प्रकार बंधनकारी हैं? खाद्य सुरक्षा पर वचिार-वमिर्श के पछिले चक्र पर भारत के दृढ-मत का समालोचनापूर्वक वशिलेषण कीजिये । (2014)